

संख्या 13आप्र०यो० ०८ / २०१७..... / आप्र०
 बिहार सरकार
 आपदा प्रबंधन विभाग

प्रमाणिक:

अग्निरुद्ध कुमार भाष्ट्रो
 अपर राजिव।

सोला मे.

जिला पदाधिकारी,
 किशनगंज / दरभंगा।

पटना 15, दिनांक

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्कीम बजट शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02- बाढ़ घकवात आदि, लघु शीर्ष -001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या-39, उपशीर्ष 0101-बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था, विभ्रंति कोड-39-2245020010101 में 1,21,40,000 (एक करोड़ इक्कीस लाख चालीस हजार रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश स्वीकृत।

2. यह राजि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 115/आप्र० दिनांक 25.05.2017 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

3. इस राजि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02- बाढ़ घकवात आदि, लघु शीर्ष -001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या-39, उपशीर्ष 0101-बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था, विभ्रंति कोड-39-2245020010101, विस्तृत शीर्ष 21-सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष -01 रामग्री एवं पूर्तियों के अन्तर्गत उपबंधित राजि से विकलनीय होगा।

4. वर्तमान आवंटित राजि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष -001 निदेशन तथा प्रशासन

उपशीर्ष 0101 बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था

मांग संख्या 39, विस्तृत शीर्ष 21-सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष -01 सामग्री एवं पूर्तियों (राजि रूपये में)

क्र०	जिला	वित्तीय वर्ष 17-18 का पूर्व आवंटन	वित्तीय वर्ष 17-18 का वर्तमान आवंटन	योग	अभ्युक्ति
1	किशनगंज	0.00 (रुपय)	88,50,000 (अठारी लाख पवास हजार) 5,40,000 (पाँच लाख चालीस हजार)	88,50,000 (अठारी लाख पवास हजार) 5,40,000 (पाँच लाख चालीस हजार)	105 अदद नये नाव (नाव 60 अदद एवं छोटी .. 45 अदद) क्रय हेतु
2	दरभंगा	0.00 (रुपय)	27,50,000 (राताईस लाख पवास हजार रुपये)	27,50,000 (राताईस लाख पवास हजार रुपये)	6 अदद महाजाली क्रय 50 अदद नये नाव त्रास

वोग	0.00 (शून्य)	1,21,40,000 (एक करोड इककीस लाख चालीस हजार रुपये)	1,21,40,000 (एक करोड इककीस लाख तीस हजार रुपये)
-----	-----------------	--	---

4. अहं ब्राह्मण जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक 462 दि० 08.07.17 एवं 463
दि० 11.07.17/दररखास्त के पत्रांक 16मु० दि० 14.07.17 द्वारा की गई अधियाखना एवं
सभा के बाबत सार्वत्रय के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

५ अन्यान्य राशि का व्यय उरी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किरी भी अन्य मद में इस राशि का विवलन नहीं किया जाय अथवा इसके लिए विकारी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

८ आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी १०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार गिर्दरित रागय रीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15. 03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

८. यद्यपि आर्थिक गशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो सकता, तो २०१४ तक उसे कोपागार में जगा करा दिया जाय।

8. अपनी गाँश की निकासी में संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष लघु रूपों द्वारा तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ दृष्टिरूप में पृष्ठ लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी पर्याप्त नहीं की जाएगी।

9. यह दस्तावेज का व्यवहार किंगागीय झापांक 2561/वि०(२) दिनांक 17.04.98 के अनुसार की तात्पुरता व्यवहार की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से प्राप्त होना चाहिए।

10 वाई ग्रांगमा आवर्तित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का उपयोग दिनांक 15.03.2018 तक

गिरिजा द्वारा मृत्यु में क्रम वे अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। गिरिजा जी निकासी कर बैंक स्थाते में नहीं रखी जाय।

11 ये आवंटन आदेश के प्रार्थि के पश्चात पत्र की एक प्रति पर “आवंटन प्राप्त हुआ”, यह प्राप्ति अस्तित्वित करते हुए तरीके

इस अंक में विभाग को सचित किया जाय।

12. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतीक्षाएँ मन्त्रीधर कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।



महानगर नियम प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना
पर्याप्त होता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/

अपर सचिव

सभापति/आ0प्र0, पटना 15, दिनांक

प्रांगनिधि: महानगरपालकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/

अपर सचिव

सभापति/आ0प्र0, पटना 15, दिनांक

प्रांगनिधि: जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज/दरभंगा को सूचनार्थ तथा आवश्यक
प्राप्ति के बारे में जापना।

ह0/

अपर सचिव

सभापति/आ0प्र0, पटना 15, दिनांक

प्रांगनिधि: संर्वधित प्रमाणितीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्राप्ति।

ह0/

अपर सचिव

सभापति/आ0प्र0, पटना 15, दिनांक


प्रांगनिधि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ
प्राप्ति।

ह0/

अपर सचिव

सभापति/आ0प्र0, पटना 15, दिनांक 11/8/11

प्रांगनिधि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी
(बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशास्त्रा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आईटीसी-
प्राप्ति प्राप्ति, यथा आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव